

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- भेड़ोला

प्रकरण संख्या:- 118/2025-

दिनांक:- 11/1/25-

श्री. मंजू पुत्री
लक्ष्मीनारायण

उनवान

बनाम

सरकार जरिये तहसील
चौथ का बरवाड़ा, जिला



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का मंडोला भू अ. नि. मंगलपुर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के तहत ग्राम मंडोला प 0 ह 0 मंडोला को वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 217 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>बैंक पर अशुद्ध</u>	<u>कॉर्पोरेशन बैंक शाखा गौन का बरवाड़ा</u>	<u>पुलियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गौन का बरवाड़ा</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री मंजू पुत्री लक्ष्मीनारायण नि. भेड़ोला
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)